उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या /2015/XXVII(9)/स्टाम्प–29/2012
देहरादूनः दिनांकः 27 अगस्त, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से समस्त ऐसे विलेखों जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 बी के अनुच्छेद 5 के खण्ड बी–1 के अधीन प्रभार्य है, में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा ₹ 1000/–(₹ एक हजार मात्र) नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– राज्यपाल यह भी आदेश देते है कि इस अधिसूचना द्वारा घटाया गया शुल्क उन विलेखों पर प्रभावी नही होगा, जिनमें यह तथ्य छिपाया गया हो कि हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्पत्ति पर कब्जा दे दिया गया है, या देने का करार किया गया है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या 207 (1)/2015/XXVII(9)/स्टाम्प–29/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की 200 प्रतियां प्रकाशित कराकर वित्त अनुभाग–9 अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।